

ग्रामीण सेवा शिविर-2025  
कैम्प स्थल- धारा

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025/ 1720

दिनांक:- 24.10.2025

UCMS No - 2025/763 --: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धारा व भू.अ.नि रमोणिया

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा

खातारका, PAN कार्ड, रेशन कार्ड, EPIC

पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>धारा</u>	<u>57 70, 73, 74 92, 94</u>	<u>जबर सिंह पुत्र शिवा</u>	<u>जबर सिंह पुत्र सवाई सिंह</u>

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025/ 1720 - 1723  
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 24-10-25

- तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- प्रार्थी श्री जबर सिंह पुत्र सवाई सिंह को सूचनार्थ
- रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

